RNI No. : DELHIN-00768

मूल्य : 20 रुपये

चार दिशाएं

समाचार विचार की सजग पत्रिका

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर विशेषांक

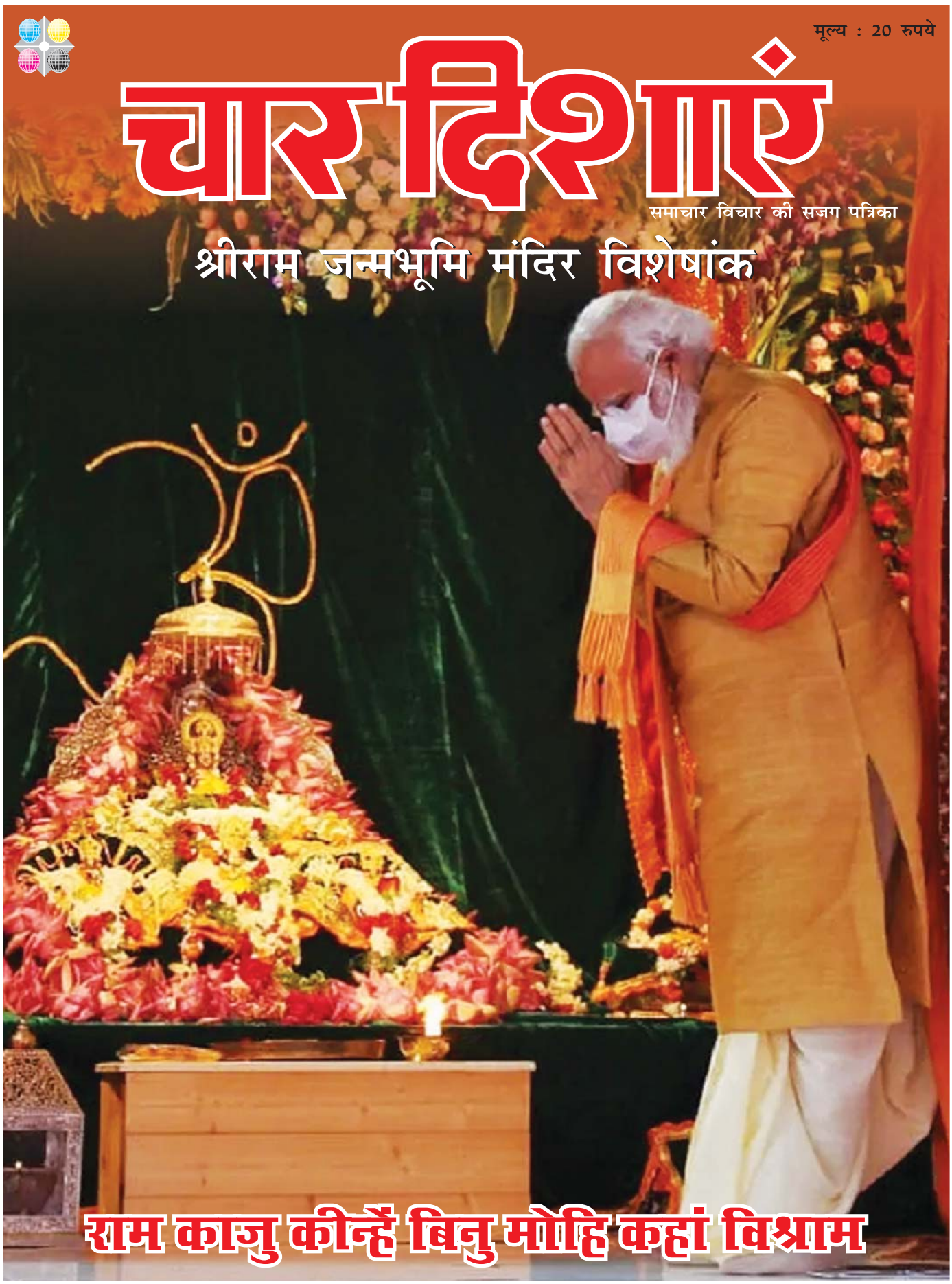

राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम

चार दिशाएं
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर विशेषांक

आशीर्वाद एवं प्रेरणास्तोत्र

स्वर्गीय पंडित हरिदत्त शर्मा
प्रबुद्ध पत्रकार, यशस्वी लेखक, चिन्तक,
ओजस्वी वक्ता एवं कर्मठ समाजसेवी

प्रधान संपादक : मनोज शर्मा
संपादक : राजकुमार शर्मा
संपादकीय सलाहकार समिति : डॉ. अशोक चक्रधर, श्री विनोद अग्निहोत्री, अजय शर्मा, डॉ. नरेश शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, मोनिका
कानूनी सलाहकार: श्री आलोक कृष्ण अग्रवाल
संपादकीय सहयोग : सार्थक शर्मा, संजय पांडे
छायाकार : शुभ दधीचि, संदीप सक्सेना
कला सज्जा : संजय पांडे, भानु प्रताप सिंह
प्रबंधक : अरुण सिंघल
उत्पादन सहयोग : रूपचंद, नवल किशोर
कवर फोटो साभार - ANI
संपादकीय कार्यालय : C-42, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-49
मुद्रक एवं प्रकाशक : चार दिशाएं प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड,
G 39 - 40 सेक्टर 3, नोएडा 201301
(जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश)
फोन : 0120 4323198, 4216891
मोबाइल 9810297155, 9711155148

स्वामी, मुद्रक, एवं प्रकाशक राजकुमार शर्मा
द्वारा चार दिशाएं प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जी 39 व 40,
सेक्टर 3, नोएडा 201301 से मुद्रित तथा सी 42,
गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली 110049 से प्रकाशित।

विषय सूची

संपादकीय	03
'राम सबके हैं, राम सबमें हैं' : प्रधानमंत्री मोदी	04
अपने मन की अयोध्या को सजाना सवांरना है : संघ प्रमुख मोहन भागवत	05
स्वयं प्रकाटय रामलला	07
राम मंदिर निर्माण के लिए बना ट्रस्ट : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र	08
'रामलला विराजमान' : एक पक्षकार	10
रामलला और गोरखनाथ मठ	11
रामरथ यात्रा : राममंदिर निर्माण संकल्प की अहम कड़ी	12
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर संबंधी महत्वपूर्ण घटनाक्रम : एक नजर में :	13
राम मंदिर भारत का एक मजबूत, समृद्ध, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा : आडवाणी	18
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें चार पक्षकारों में से किसने खोया, किसने पाया ?	19
दिव्यता और भव्यता का वैभव होगा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर	21
राष्ट्रभक्त और राम भक्त हैं प्रधानमंत्री मोदी	22
निर्मोही अखाड़ा : प्रथम याचिकाकर्ता	24
सिक्ख सनातन हिंदू संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।	24
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और प्रयासों के कारण आज यह संकल्प पूरा हो रहा है : योगी आदित्यनाथ'	25
स्त्री की गरिमा एवं आत्म-सम्मान के रक्षक हैं श्रीराम	26
पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें	27

ॐ
॥ श्री जानकीबल्लभो विजयते ॥
अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास समारोह के पुण्य अवसर पर सभी देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं और हार्दिक मंगल बधाइयां
श्री हरि कृपा डॉट कॉम
श्री हरि चरण वंदनम्
http://sriharikripa.com

श्री हरि कृपा
श्री हरि चरण वंदनम्
http://sriharikripa.com

अभी हाल में, 'श्री हरि कृपा डॉट कॉम' (http://sriharikripa.com) नाम से एक वेबसाइट शुरू की गई है। धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, कथा प्रसंगों और तीर्थ स्थलों विषयक जानकारी पर केंद्रित यह वेबसाइट आपको पसंद आएगी, ऐसी आशा है। इससे संबंधित आपके अमूल्य और सारगर्भित विचार और सुझाव सहर्ष सादर अपेक्षित है।
Recently, a website named 'Sri Hari Kripa' (http://sriharikripa.com) has been launched, focused on Religion, Culture, Aadhyatma Katha themes and information related to pilgrimage sites. Hope you will like this website. Your invaluable thoughts and suggestions related to it will gladly be appreciated.

चार दिशाएं
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर विशेषांक

संपादकीय

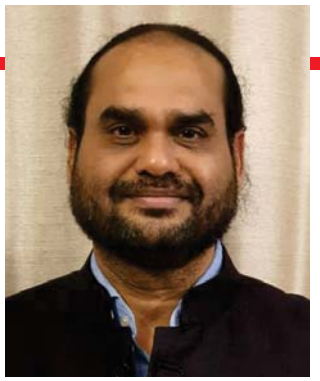

■ मनोज शर्मा

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में रामलला मंदिर के भूमिपूजन और शिलान्यास के साथ ही जहाँ एक ओर राममंदिर निर्माण का विधिवत आरम्भ हो गया है वहीं दूसरी ओर अयोध्या में पांच सदियों से लंबित विवाद का अब पटाक्षेप हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भारत सहित संपूर्ण विश्व के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। राम न केवल भारत, अपितु संपूर्ण विश्व और समस्त मानवता के लिए आदर्श हैं। वे सबके हृदय में वास करते हैं। यही कारण है कि जिस मंदिर का अस्तित्व पांच सदी पूर्व लुप्त हो गया था, वह एक बार पुनः साकार रूप लेने वाला है। प्रधानमंत्री द्वारा श्रीराम मन्दिर के शिलान्यास का जो गुरुतर व बंजरंगी कार्य किया गया है, वह हनुमानजी की भांति उन पर साक्षात राम-कृपा का द्योतक होने के साथ-साथ उनके गुणों, बुद्धि कौशल, नेतृत्व कुशलता, कार्यदक्षता, कुशल प्रबंधन, अथक लग्नशीलता और सामंजस्यता का प्रतिपफल है।

प्रधानमंत्री द्वारा यह न केवल श्रीराम मंदिर की आधरशिला रखी गयी है, अपितु यह सुराज, और भारत के विश्वगुरू बनने की भी आधारशिला है। इसके माध्यम से महात्मा गांधी ने जिस रामराज्य की संकल्पना की थी वह साकार होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। चिर प्रतिक्षित मंदिर का शिलान्यास राष्ट्र की पवित्र भावना के अनुरूप संपन्न हुआ है। कई दशकों से असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य उनके समर्पण भाव से सहज संभव हुआ है, वह भी निर्विवाद, निर्विरोध, अहिंसक और न्याय संगत रूप से। हर भारतीय ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की ही भांति अपने मर्यादित आचरण में रहकर हर्षित और प्रफुल्लित मन से अपनी शांत अभिव्यत्ति के माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षण को और अधिक पवित्र महान और भव्य बना दिया और श्रीराम के सहिष्णुता के आदर्श को देश-दुनिया के सामने लाये। इस ऐतिहासिक क्षण का सभी देशवासियों ने सकारात्मक सोच के साथ स्वागत किया है। भारत में पूजा पद्धति के प्रश्न पर हिंसा की नहीं, अपितु शास्त्रार्थ की परंपरा है इस शिलान्यास से ये फिर सत्यापित हो गया है।

हमारी सत्य सनातन संस्कृति भारतीय सभ्यता और विचारधारा में संपूर्ण मानवता समाहित है, विश्व बंधुत्व समाहित है, संपूर्ण विश्व के समस्त प्राणियों का भेदभाव रहित हित समाहित है, लोकमंगल समाहित है, सत्य और अहिंसा समाहित है। विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का मार्ग प्रशस्त करने हेतु राम की अयोध्या से बेहतर कोई और स्थान नहीं है। भारतीयता वास्तव में अध्यात्म आधारित समग्र जीवन दृष्टि है। इसमें सबका समावेश है। विविधता में एकता की परंपरा भारत की सुंदरता है। समाज में यह गुण न तो अर्थतंत्र से आता है और न ही राजनीतिक व्यवस्था से। इसकी अनुभूति अध्यात्म से ही होती है।

चार दिशाएं
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर विशेषांक

आवरण कथा

'राम सबके हैं, राम सबमें हैं' : प्रधानमंत्री मोदी

यह राष्ट्र को जोड़ने का अवसर है। नर को नारायण और वर्तमान को अतीत से व स्वयं को संस्कार से जोड़ने का अवसर है।

■ राजकुमार शर्मा

स्कंद पुराण के वैष्णव खंड सात में अयोध्या महात्म्य का जिक्र करते हुए श्लोक 18 से 25 में भगवान श्रीराम के जन्मस्थान का न सिर्फ महत्व बताया गया है, बल्कि आस-पास के पौराणिक स्थलों का जिक्र करते हुए एक-एक इंच माप भी बताया गया है। उसी गर्भगृह पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 अगस्त 2020 को भूमिपूजन किया गया।

रामनगरी अयोध्या में यह रामकथा का नया अध्याय है, 492 वर्ष तक चली संघर्ष कथा का यह अपना 'उत्तरकांड' है। अपनी माटी, अपने ही आंगन में ठीहा पाने को रामलला पांच सदी तक प्रतीक्षा करते रहे, तो रामभक्तों की अग्निपरीक्षा भी अब पूरी हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राममंदिर निर्माण के लिए बहुप्रतीक्षित भूमि पूजन अनुष्ठान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शुभ घड़ी अभिजीत मुहूर्त में किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक हिंदू वेशभूषा धोती-कुर्ता पहने हुए थे। हिंदू धर्म में पूजा के समय धोती-कुर्ता का विशेष महत्व है। श्रीराम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी ने इसे विशेष रूप से धारण किया। श्रीराम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए बाबा भैरवनाथ का स्मरण कर भूमि पूजन की अनुमति ली गई। गणेश पूजन, वास्तु पूजन, नौ ग्रह पूजन मंत्रोच्चार के बीच नौ शिलाओं का पूजन प्रारंभ हुआ। यजमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी को संकल्प दिलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान-शिला के पूजन के पश्चात अष्ट उप-शिलाओं का पूजन किया। इसके पश्चात प्रभु श्रीराम की कुलदेवी के पूजन के साथ ही सभी देवियों का पूजन किया गया। कांची के शंकराचार्य की ओर से भेजी गई नवरत्न जड़ित सामग्रियों को पूजन में समर्पित किया गया। भूमिपूजन कर पूजित सभी नौ शिलाओं को गर्भगृह स्थल पर प्रतिष्ठित किया। प्रधानमंत्री ने शुभ मुहूर्त के समय ठीक 12 बजकर 40 मिनट 08 सेकेंड पर शिला रखी। शिलाओं के साथ ही चांदी के नाग-नागिन तथा कछुए को और देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और देश भर की सभी पवित्र नदियों के जल को भी नींव में समर्पित

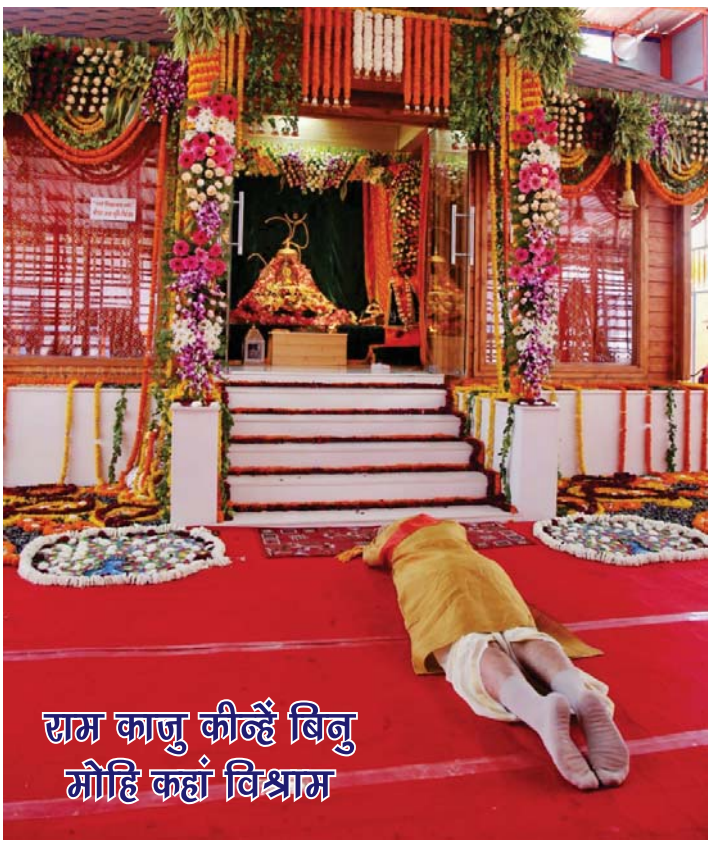

किया गया। इसके बाद उन्होंने रामजन्म स्थान की पवित्र भूमि की मिट्टी को प्रणाम कर अपने माथे पर लगाया। कार्यक्रम कुल तकरीबन 25 मिनट पर चला।

रामनगरी अयोध्या में भूमिपूजन कार्यक्रम में देश भर के धर्माचार्यों के साथ कर्मकांडी विद्वान बुलाए गए। प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय सहित काशी विद्वत परिषद के तीन सदस्य भी पूजा में बैठे।

कार्यक्रम देशभर के विभिन्न स्थानों से आए हुए सैकड़ों वरिष्ठ, प्रतिष्ठित व दिव्य संत महात्मा और साधु सन्यासी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इस ऐतिहासिक क्षण के सभी सक्षी बने।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखने के मुख्य कार्यक्रम संपन्न होने के बाद, पीएम मोदी के साथ यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपालदास आदि विशिष्ट अतिथिगण श्रीराम जन्मभूमि परिसर में बने मंच पर पहुंचे। बारी-बारी से सबने अपने विचार रखे। कार्यक्रम मंच का संचालन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया।।

पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य था कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह राम के रंग में नजर आए उन्होंने कहा कि आज पूरा देश राममय और हर मन दीपमय है। आज पूरा देश राम के नाम में लीन हो गया है। राम सभी के हैं। वह सभी के मन में बसते हैं। सदियों का इंतजार समाप्त हुआ। भूमि पूजन के बाद रामनगरी अयोध्या समेत पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जा रहा है।

अपने मन की अयोध्या को सजाना सवांरना है : संघ प्रमुख मोहन भागवत

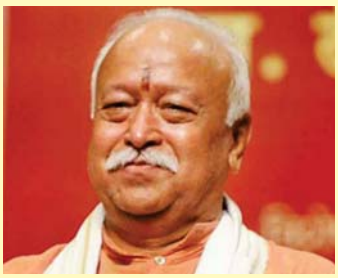

अयोध्या 5 फरवरी को राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि आज आनंद का क्षण है, आज पूरा देश आनंद से भर गया है। आज हमें तीस साल की मेहनत का फल मिला है। मंदिर निर्माण के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया। उन्होंने इस दौरान राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले संघ के लोगों को याद किया और उनके योगदान को सराहा। आज हमारा संकल्प पूरा हो गया है। एक संकल्प लिया था तब के संघ प्रमुख देवव्रत जी ने कहा था कि 20-30 साल तक लगके काम करना होगा, तब राम मंदिर का सपना पूरा होगा। हमने काम किया, आज 30वें साल की शुरुआत में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है।

उन्होंने कहा कि अब अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर बनेगा। जिनका जो काम है वे करेंगे, अब हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना सवांरना है। हिंदू धर्म सबकी उन्नती करने वाला और सबको समान मानने वाला धर्म है। जैसे-जैसे मंदिर बनेगा, राम की अयोध्या भी बननी चाहिए।

मोहन भागवत ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे लाल कृष्ण आडवाणी को याद करते हुए कहा, 'रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले आडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे. वह आ नहीं सकते थे, परिस्थिति ही ऐसी है।

इस मौके पर मोहन भागवत ने भारत की प्राचीन परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा देश वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करता है यानि हमारे लिए विश्व एक परिवार है। हम सभी को साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं। भागवत ने कहा कि आज एक नए भारत की नई शुरुआत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मंदिर को विकास का पर्याय भी बताया और कहा कि जहां-जहां भगवान राम के चरण पड़े, वहां-वहां राम सर्किट बनाया जा रहा है। मंदिर बनने से यहां का अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे। यह मंदिर संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्र को जोड़ने का अवसर है। नर को नारायण और वर्तमान को अतीत से व स्वयं को संस्कार जोड़ने का अवसर है।

देश की स्वतंत्रता जैसी रामजन्मभूमि की मुक्ति : राममंदिर के भूमिपूजन की तिथि को प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस जैसा बताया। उन्होंने कहा कि अस्तित्व मिटाने का बहुत प्रयास हुआ लेकिन जैसे देश की स्वतंत्रता के लिए पीढ़ियों से अपना सब कुछ समर्पित किया, वैसे ही कई सदियों और पीढ़ियों ने राममंदिर के लिए प्रयास किया और रामजन्मभूमि मुक्त हुई। यह दिन सत्य, अहिंसा और न्यायप्रिय भारत की अनुपम भेंट है। यह मंदिर तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक बनेगा। शाश्वत मंदिर आस्था और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। कोई काम करना हो तो हम भगवान राम की ओर देखते हैं। भगवान राम को देखते हैं। राम हमारे मन में बसे हैं। राम संस्कृति के आधार हैं। उन्होंने राममंदिर आंदोलन में बलिदान हुए लोगों को भी नमन किया।

भय बिनु होई न प्रीति : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति पूरी दुनिया के लिए अध्ययन और शोध का विषय भी है। उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई काम आरंभ करते हैं, तो राम की ओर देखते हैं। राम समय और परिस्थिति के अनुसार कहते हैं, सोचते हैं, करते हैं। भगवान राम ने हमें कर्तव्य पालन की सीख दी है। अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें यह भी सीख दी है। उन्होंने कहा कि श्रीराम जैसा नीतिवान शासक कभी नहीं हुआ। मानस की चौपाइयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राम शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं। भगवान राम ने कहा है कि भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए जब देश ताकतवर होगा तब शांति भी स्थापित होगी। राम की यह नीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है।

दो गज की दूरी और मास्क पहनने का आह्वान : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की मर्यादा को मौजूदा परिस्थितियों के सर्वाधिक आवश्यक बताया और मर्यादा के पालन को दो गज की दूरी और मास्क पहनने का आह्वान भी किया।

श्रीराम पर डाक टिकट जारी : प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में श्रीराम पर 5 रुपये का एक डाक टिकट भी जारी किया। फिलहाल यह 5 लाख डाक टिकट छापे जाएंगें। ये डाक टिकट यूपी सरकार द्वारा तैयार कराए गए हैं। पूर्व में भी प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम पर 11 डाक टिकट जारी किये थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राम मंदिर निर्माण के लिए अधारशिला की पट्टिका का भी अनावरण किया।

करीब एक घंटे चले संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। पीएम नरेंद्र मोदी 29 साल बाद अयोध्या की धरती पर पहुंचे। इससे पहले वह 1992 में अयोध्या आए थे। इस समय नरेंद्र मोदी राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा थे। इस बार बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए।

बजरंगबली को माथा टेक पीएम ने मांगी रामकाज की अनुमति : राममंदिर भूमिपूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को निर्धारित समय पर अयोध्या पहुंचे। वे भूमिपूजन से पहले अपने निर्धारित समय 11 बजकर 40 मिनट पर हनुमानगढ़ी पहुंचे। सबसे पहले मंदिर परिसर में हाथ धुलने के बाद वे पीछे के रास्ते से हनुमानजी के दरबार में हाजिर हुए।

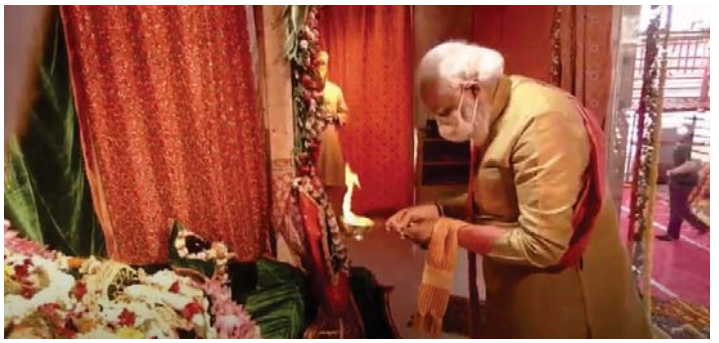

बजरंगली का दर्शन कर मत्था टेका। इसके बाद बजंगबली की आरती उतारी और अयोध्या के कोतवाल कहे जाने वाले हनुमानजी को माथा टेक कर रामकाज की अनुमति मांगी। परिक्रमा करने के बाद गद्दीनशीन महंत प्रेमदास ने प्रधानमंत्री को सुनहरा चांदी का मुकुट पहनाकर व रामनामी पट्टिका भेंटकर स्वागत व सम्मानित किया। इसके बाद वे हनुमानगढ़ी की 76 सीढ़ियां तय कर बाहर आए। उन्होंने वापस होते समय मंदिर में मौजूद साधु-संतों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया।

अयोध्या में पूरे कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने शारीरिक दूरी का खास ध्यान रखा। उन्होंने मास्क पहने रखा। एयरपोर्ट पर सीएम योगी से दो गज की दूरी से नमस्कार किया। कोरोना संकट के कारण हनुमानगढ़ी में उन्हें टीका भी नहीं लगाया गया, न ही प्रसाद दिया गया।

वैदिक मंत्रों के बीच प्रधानमंत्री ने रामलला का किया दर्शन : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रभु राम के भक्त हनुमान के पूजन और दर्शन के बाद रामलला के दर्शन किये। वैदिक मंत्रों के बीच प्रधानमंत्री ने रामलला के श्री चरणों में पुष्प अर्पित किये, माल्यार्पण किया और आरती की। शंख ध्वनि से संपूर्ण परिसर गुंजायमान हो उठा। उन्होंने रामलला को सष्टांग दण्डवत प्रणाम किया।

पीएम ने पारिजात का पौधा रोपा : रामजन्मभूमि परिसर पहुंचे प्रधानमंत्री ने रामलला का दर्शन करने के बाद देवदुर्लभ प्रजाति का पारिजात पौध रोपित कर स्वस्थ पर्यावरण का संदेश दिया। उन्होंने बाकायदा रोपित पौधे को पवित्र नदियों के जल से सींचा।

5 अगस्त को अयोध्या में रामलला मंदिर के भूमि पूजन समारोहों के दीर्घ प्रतीक्षित अवसर पर सारी अयोध्या और आसपास के सभी क्षेत्रों को दुल्हन की तरह सजाया गया। न केवल अयोध्यावासियों, समस्त देशवासियों और विदेशों में बसे समस्त हिंदुओं में बल्कि देश विदेश में बसे हिंदू धर्म में श्रद्धा विश्वास रखने वाले अन्य धर्मावलंबियों में भी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर हर्ष की एक बड़ी लहर दौड़ गई और उन्होंने दीप जलाकर, बिजली चालित झालर लड़ी लगाकर उत्सव मनाया तथा पटाखे फोड़ कर और एक दूसरे को बधाइयां देकर अपनी खुशी का इजहार किया। ❖

स्वयं प्रकाटय रामलला

- सार्थक शर्मा

राम जन्मभूमि – बाबरी मस्जिद विवाद काफी पुराना है लेकिन 9 नवंबर 2019 को जिस भूमि पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया था, उसका आधार 22 – 23 दिसंबर 1949 की रात को हुआ रामलला मूर्ति प्रकटीकरण और 23 से 29 दिसंबर 1949 से नित्य निरंतर हुआ रामलला पूजन ही है।

22 – 23 दिसंबर 1949 की रात मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वाले कमरे में रामलला की मूर्तियां रखी गई थीं, इसे ही उस वक्त रामलला का प्रकटीकरण कहा गया। बताया जाता है कि 22 – 23 दिसंबर 1949 की रात रामलला की मूर्तियां राम-चबूतरे से उठाकर उक्त भीतरी हिस्से में रखी गई थीं। 23 दिसंबर की घटना के बाद 29 दिसंबर 1949 को उस स्थली पर कोर्ट के आदेश से एक रिसीवर की नियुक्ति कर उसको सौंप दी गई थी जिसे सीमित व्यक्तियों की उपस्थिति में रामलला की पूजा की भी जिम्मेदारी दी गयी थी। इस घटना के बाद अयोध्या का पूरा परिदृश्य ही बदल गया था।

राम मंदिर निर्माण के लिए बना ट्रस्ट : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र

– मोनिका

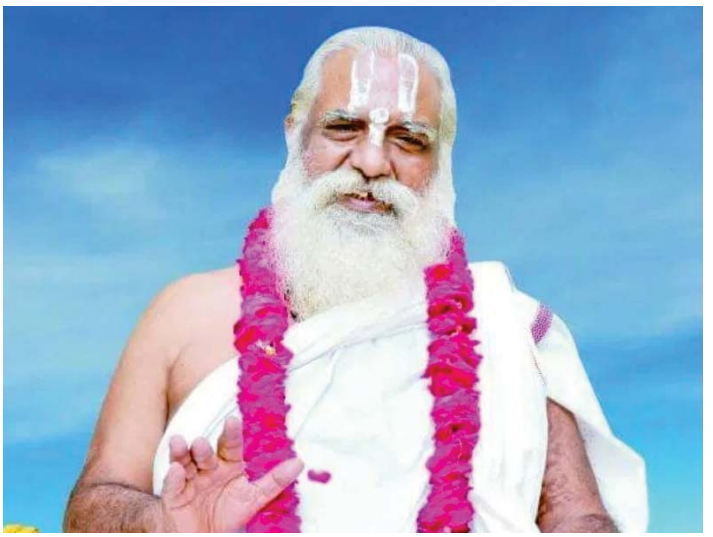

महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज,
अध्यक्ष, 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट

निर्माण समिति के अध्यक्ष चुने जाने पर श्री नृपेंद्र मिश्र (आई.ए.एस.) का स्वागत करते हुए चार दिशाएं के संपादक अजय शर्मा, राजकुमार शर्मा व शैलेन्द्र शर्मा

अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को संसद में ट्रस्ट के गठन का एलान किया। 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' के नाम से गठित इस 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक ट्रस्टी अनिवार्य रूप से दलित होगा।

ट्रस्ट की डीड के अनुसार ट्रस्ट में 1 दलित समेत 9 स्थाई सदस्यों सहित कुल 15 सदस्य होंगे और सभी 15 सदस्यों का हिंदू होना अनिवार्य है। ट्रस्ट की डीड में इसके 9 स्थाई सदस्यों के नाम दे दिए गए हैं, जिनमें रामलला को सुप्रीम कोर्ट में जीत दिलाने वाले रामभक्त और सीनियर एडवोकेट श्री के. पारासरन का नाम सबसे ऊपर है।

100 रुपये में ट्रस्ट रजिस्ट्रर्ड कराकर एक रुपये में ट्रस्टी को सौंपा : गृहमंत्रालय के अवर सचिव श्री खेला राम मुर्मू ने बुधवार को 100 रुपये के स्टांप पेपर पर ट्रस्ट को पंजीकृत कराया और फिर उसे एक रुपये में वरिष्ठ वकील श्री के. पारासरन रामलला को स्थानांतरित कर दिया। ट्रस्ट के डीड में ही साफ कर दिया गया है कि इसके गठन के बाद सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी यानि यह सरकारी दखल से पूरी तरह मुक्त होगा। फिलहाल ट्रस्ट का पता श्री के. पारासरन के ग्रेटर कैलाश पार्ट – एक स्थित निवास को रखा गया है, जिसे बाद में ट्रस्ट दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकता है। ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण और उसके रखरखाव के लिए धन जुटाने और उसके प्रबंधन की पूरी छूट होगी।

सभी सदस्यों का हिंदू होना अनिवार्य : ट्रस्ट के सभी सदस्यों का हिंदू धर्मावलंबी होना अनिवार्य बनाया गया है। यहां तक कि यह शर्त उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत दो सदस्यों और अयोध्या के जिलाधिकारी के पदेन सदस्य होने पर भी लागू होगा। केंद्र सरकार की ओर से ऐसे सदस्य को ट्रस्ट में नियुक्त किया जाएगा, जो आइएएस अधिकारी होगा और संयुक्त सचिव के पद से नीचे के स्तर का नहीं होगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार भी एक आइएएस अधिकारी को नियुक्त करेगी, जो राज्य में सचिव स्तर के नीचे का अधिकारी नहीं होगा। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट के हिंदू धर्मावलंबी नहीं होने की स्थिति में वहां के एडिशनल मजिस्ट्रेट को ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि के रूप में महंत दीनेंद्र दास को भी ट्रस्ट के स्थाई सदस्यों के रुप में शामिल किया गया है। ट्रस्ट के दो सदस्यों के चयन का अधिकार ट्रस्ट के मौजूदा सदस्यों को दिया गया है। लेकिन इन दोनों सदस्यों के चुनाव में सरकार की ओर से मनोनीत आइएएस अधिकारी व अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पदेन सदस्य भाग नहीं ले सकेंगे। इसका 15 वां सदस्य भी पदेन होगा, जो ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर कांप्लेक्स के विकास और प्रशासनिक देखरेख के लिए बनने वाली कमेटी का अध्यक्ष होगा। इसका चयन भी ट्रस्ट के सदस्य ही करेंगे। ट्रस्ट द्वारा मतदान के बाद बहुमत के आधार पर शेष तीनों सदस्यों का भी निर्वाचन हो गया है।

इस ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप और 1993 में संसद से पारित 'अयोध्या भूमि अधिग्रहण कानून' के प्रावधान के तहत किया गया है। सदियों पुराने विवाद पर 9 नंवबर 2919 को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल पर रामलला के पक्ष में फैसला दिया था और सरकार को तीन महीने के भीतर इसके लिए ट्रस्ट के गठन का निर्देश दिया था। 9 फरवरी को तीन महीने पूरे होने के 4 दिन पहले ही यानि 5 फरवरी को सरकार ने ट्रस्ट का गठन कर दिया।

ये जिम्मेदारियां संभालेगा ट्रस्ट : भविष्य में यह ट्रस्ट ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और उसकी रोजमर्रा की व्यवस्था से लेकर देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के आने-जाने, ठहरने और खाने-पीने के इंतजाम की जिम्मेदारी संभालेगी। वैसे तो अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन चलाने वाली विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट बना रखा रखा है, जिसने उसका नक्शा भी बना रखा है और उस नक्शे के अनुरूप पत्थरों की तराशने का 70 फीसदी काम पूरा भी हो चुका है।

ट्रस्ट के पदाधिकारी व सदस्य :

1) महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, अध्यक्ष

2) स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज, कोषाध्यक्ष व स्थाई सदस्य
(आप पुणे महाराष्ट्र के विख्यात आध्यात्मिक गुरु पांडुरंग शास्त्री अठावले के शिष्य हैं)

3) श्री चंपत राय, महासचिव

4) श्री नृपेंद्र मिश्र (आई.ए.एस.), अध्यक्ष निर्माण समिति
(पूर्व प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार)

5) श्री के. पारासरन (सीनियर एडवोकेट), स्थाई सदस्य
(सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष का केस लड़ने वाले वरिष्ठ वकील)

6) स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, स्थाई सदस्य
(जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर, प्रयागराज)

7) स्वामी विश्वप्रशन्नतीर्थ जी महाराज, स्थाई सदस्य
(जगतगुरु माधवाचार्य पीठाधीश्वर, पेजावर मठ, उडुपी, कर्नाटक)

8) युगपुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, स्थाई सदस्य
(प्रमुख, अखंड आश्रम, हरिद्वार)

9) श्री विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, स्थाई सदस्य
(अयोध्या के राजपरिवार के वंशज, सदस्य रामायण मेला संरक्षक समिति के सदस्य और समाजसेवी)

10) डॉ. अनिल मिश्र, स्थाई सदस्य
(अयोध्या के होम्योपैथिक चिकित्सक)

11) श्री कामेश्वर चौपाल, स्थाई सदस्य

12) महंत दिनेंद्र दास जी, स्थाई सदस्य
(अयोध्या के निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि)

13) श्री ज्ञानेश कुमार (आई.ए.एस.), नामित सदस्य
(अपर सचिव गृह, भारत सरकार)

14) श्री अवनीश अवस्थी (आई.ए.एस.), नामित सदस्य
(अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश)

15) श्री अनुज झा (आई.ए.एस.), नामित सदस्य
(जिलाधिकारी – अयोध्या)

❖

'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट के पदाधिकारी व सदस्य

'रामलला विराजमान' : एक पक्षकार

– सार्थक शर्मा

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में, 'रामलला विराजमान' को भी एक पक्ष बनाने की जरूरत मशहूर वकील और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल (1979 – 83) श्री लाल नारायण सिन्हा ने बताई थी। श्री सिन्हा ने हिंदू पक्षकारों को समझाया कि अगर वो अपने मुकदमे में भगवान को भी पार्टी बनाते हैं, तो उससे उनकी राह की कानूनी अड़चनें दूर होंगी। उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि मुस्लिम पक्ष, लॉ ऑफ लिमिटेशन यानि परिसीमन कानून के हवाले से मंदिर के पक्षकारों के दावे का विरोध करेंगे. चूंकि 1963 का लॉ ऑफ लिमिटेशन यानी परिसीमन कानून, किसी विवाद में पीड़ित पक्ष के दावा जताने की सीमा तय करता है, और हिंदू पक्षकारों के दावे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इस कानून के हवाले से ये दावा कर रहे थे कि सदियों से वो विवादित जगह उनके कब्जे में है और इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद हिंदू पक्षकार इस पर दावा नहीं जता सकते।

पहली बार हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, जस्टिस श्री देवकी नंदन अग्रवाल, 1 जुलाई 1989 को भगवान राम के प्रतिनिधि के तौर पर फैजाबाद की अदालत में पेश हुए और 'रामलला विराजमान' की तरफ से कोर्ट के सामने दावा पेश किया

अतः इस मामले में 'रामलला विराजमान' को भी एक पक्ष बनाने का फैसला लिया गया, और पहली बार हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, जस्टिस श्री देवकी नंदन अग्रवाल, 1 जुलाई 1989 को भगवान राम के प्रतिनिधि के तौर पर फैजाबाद की अदालत में पेश हुए और 'रामलला विराजमान' की तरफ से कोर्ट के सामने दावा पेश किया। इस तरह प्रसिद्ध वकील और रिटायर्ड जस्टिस श्री देवकी नंदन अग्रवाल के माध्यम से इस वाद में भगवान श्रीराम रामलला के रूप में एक पक्षकार के तौर पर शामिल हो गए। इसके बाद से इस मुकदमे को परिसीमन कानून के हर बंधन से आने वाले समय में अनंत काल के लिए छूट मिल गई।

मजे की बात ये है कि जब इस मुकदमे में रामलला विराजमान को भी एक पक्ष के तौर पर शामिल करने की अर्जी दी गई, तो इसका किसी ने विरोध नहीं किया था।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी इस बारे में कहते हैं कि, भगवान की याचिका का विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि इस केस में भगवान भी एक इंसान की तरह ही पक्षकार थे. रामलला विराजमान को भी एक पक्षकार बनाना हमारे विरोधी पक्ष का वैधानिक हक था क्योंकि इसके बगैर इस विवाद में अपने दावे के हक में पेश करने के लिए उनके पास पर्याप्त दस्तावेजी सबूत नहीं थे। ❖

रामलला और गोरखनाथ मठ

– अजय शर्मा

मंदिर आंदोलन के लंबे इतिहास पर अगर गौर करें तो यह बात उभर कर सामने आती है कि 1949 से लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और राम मंदिर के भूमि पूजन तक हर एक अहम पड़ाव का एक जुड़ाव गोरखपुर के गोरखनाथपीठ मठ मंदिर से भी रहा है। राम जन्मभूमि मामले में जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है तो किसी ना किसी रूप में उसका संबंध गोरखनाथ मंदिर से भी जुड़ा रहा है। गोरखनाथ मठ की तीन पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं।

इसी मठ ने अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी और काफी समय तक आंदोलन का केन्द्र बिंदु भी रहा। 22 – 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या में श्री रामलला प्रकाटय प्रकरण के समय गोरखनाथ मठ के तत्कालीन अध्यक्ष महंत योगी दिग्विजयनाथ जी शिलापूजन के दौरान मौजूद थे। महंत योगी दिग्विजयनाथ कुछ साधु-संतों के साथ वहां कीर्तन कर रहे थे। इस प्रकार गोरखनाथ मठ के तत्कालीन अध्यक्ष महंत योगी दिग्विजयनाथ का इस आंदोलन में खास योगदान रहा है।

गोरखनाथ मठ की तीन पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं। इसी मठ ने अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन की शुरूआत की थी और काफी समय तक आंदोलन का केन्द्र बिंदु भी रहा। 22 – 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या में श्री रामलला प्राकट्य प्रकरण के समय गोरखनाथ मठ के तत्कालीन अध्यक्ष महंत योगी दिग्विजयनाथ जी शिलापूजन के दौरान मौजूद थे।

योगी दिग्विजयनाथ जी के निधन के बाद उनके शिष्य महंत योगी अवैद्यनाथ ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और 1986 मे कोर्ट के आदेश के बाद जब विवादित परिसर का ताला खोला गया उस ऐतिहासिक समय का गवाह बनने के लिए गोरखनाथ मठ के तत्कालीन अध्यक्ष महंत योगी अवैद्यनाथ भी वहां मौजूद थे। तब से लेकर 1992 में रामलला को अस्थायी मंदिर में पहुंचाने के काम में महंत योगी अवैधनाथ जी ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उसी समय से योगी आदित्यनाथ भी अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो भी शेयर की थी. उसमें उन्होंने लिखा था, 'गोरक्षपीठाधीश्वर युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज एवं परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को भावपूर्ण श्रद्धांजलि' बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जो फोटो शेयर की थी उसमें महंत दिग्विजयनाथ जी, महंत अवैद्यनाथ और परमहंस रामचंद्र दास दिखाई दे रहे थे। वह तस्वीर रामशिला पूजन के वक्त की बतायी जाती है.

9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला दिया और जमीन रामलला को सौंपने की बात कही तब महंत अवैद्यनाथ के शिष्य, गोरखनाथधाम मठ के मौजूदा पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी स्वयं मंदिर निर्माण के एक-एक काम में विशेष रुचि ले रहे हैं। यही नहीं इसके साथ

ही साथ योगी आदित्यनाथ जी कई ऐसे काम भी कर रहे हैं जिससे अयोध्या का विश्व में नाम हो और आने वाले वक्त में राम की नगरी का पूरा कायाकल्प हो जाए और वह देश का बड़ा धार्मिक केंद्र बनकर उभरे। अपने गुरुओं की तरह ही योगी आदित्यनाथ भी मंदिर आंदोलन को लेकर अपने शुरुआती दिनों से ही काफी मुखर रहे हैं। यही वजह है कि राम नगरी का विकास उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा और फिलहाल राम मंदिर निर्माण के अलावा कई अहम योजनाएं भी चल रही हैं जिनके पूरा होने के साथ ही अयोध्या का कायाकल्प हो जाएगा। यहां आपको यह भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ की ही प्राथमिकता थी कि अयोध्या में दीप प्रज्वलन का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यही नहीं 27 साल 3 माह 20 दिन बाद रामलला को टेंट से निकाल कर एक अस्थायी फाइबर के मेकशिफ्ट मंदिर में स्थापित करने का काम भी उन्होंने ही अपने हाथों से किया था। इसी साल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी 25 मार्च 2020 को ब्रह्म मूहूर्त में करीब 4 बजे श्रीरामजन्मभूमि परिसर में स्थित गर्भ गृह में रामलला को स्नान और पूजा-अर्चना के बाद सुबह-सुबह रामलला गर्भ गृह के ऊपर लगाए गए टेंट से निकलकर एक भव्य मेकशिफ्ट मंदिर में स्थापित किया गया था। उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे और योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के निर्माण के लिए 11 लाख रुपये का चेक भी दिया था।

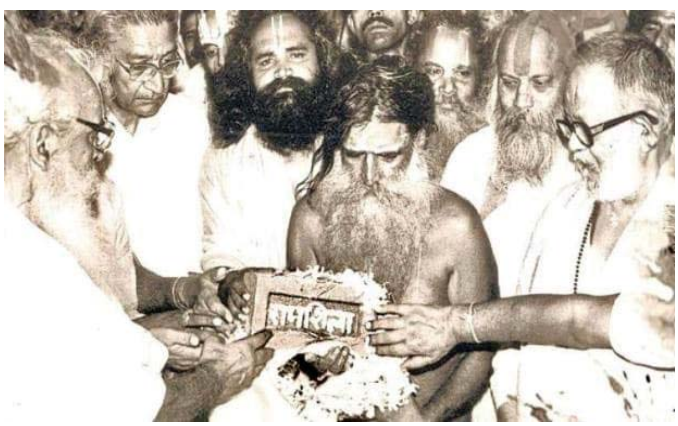

अब 5 अगस्त को भी श्रीराम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में भी पीएम मोदी के साथ-साथ योगी आदित्यनाथ भी हर जगह और मंच पर अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे। भूमि पूजन की तैयारियों से लेकर मंदिर निर्माण से संबंधित प्रत्येक कार्यों की योगी आदित्यनाथ स्वयं व्यक्तिगत तौर पर समीक्षा करते रहे हैं। ❖

रामरथ यात्रा : संकल्प की अहम कड़ी

– मनोज शर्मा

अयोध्या में राममंदिर का जो शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है उसके पीछे न जाने कितने संघर्ष शामिल हैं। पर इसे राजनीतिक रूप देने का काम भाजपा के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी की गुजरात से अयोध्या तक की प्रस्तावित रामरथ यात्रा ने किया था। इस रथ यात्रा के प्रारंभ के लिए श्री आडवाणी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को चुना। उन्होंने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से इस यात्रा की शुरुआत की। यात्रा शुरू करने से पहले सोमनाथ मंदिर में ही आडवाणी ने पूजा की और राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया।

हालांकि यह यात्रा अयोध्या तक नहीं पहुंच सकी, उसे बिहार की तत्कालीन जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सरकार के आदेश पर 23 अक्टूबर 90 को ही बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया गया और श्री लालकृष्ण आडवाणी जी और प्रमोद महाजन को गिरफ्तार कर लिया गया था। रथ यात्रा पूरी न हो पाने के बावजूद इस रथयात्रा से श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन के लिए व्यापक जनसमर्थन हासिल हुआ था। इस यात्रा के बाद से ही अयोध्या मुद्दा राजनीति के केन्द्र में आया और राममंदिर लगातार हर चुनाव में मुद्दा बनता रहा और राजनीतिक तौर बीजेपी और मजबूत हुई थी। ❖

चार दिशाएं
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर विशेषांक

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर संबंधी महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक नजर में

■ सार्थक शर्मा

- उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 16 वीं सदी में बनी बाबरी मस्जिद – श्रीराम जन्मभूमि मंदिर (पूर्व में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर) के स्थल पर भूमि विवाद, शायद इस उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे प्राचीन भूमि विवाद है और यह 19 वीं शताब्दी के मध्य से एक बहुत बड़े विवाद का भी केंद्र रही है।
- मुगल शासक बाबर के वायसराय जनरल मीर बाकी द्वारा 1528 निर्मित इस मस्जिद और इस स्थल को हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रारंभ से ही भगवान श्रीराम जन्मभूमि मंदिर मानता रहा है। उनकी यह दृढ़ मान्यता है कि इस स्थान पर बने प्राचीन मंदिर को गिराकर उसके अवशेषों से ही बाबर के वाइसराय जनरल मीर बाकी ने यह मस्जिद बनवाई थी।
- देशभर में हर कोई देश के सर्वोच्च न्यायालय यानि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में न्याय और भूमि पर शांति की बहाली करते देखना चाहता था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 को अहम फैसला आने तक सभी की इस पर पैनीं नजर भी थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) द्वारा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर स्थल की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों और अन्य सभी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर हिंदुओं की इस प्राचीन मान्यता पर अपनी मोहर लगा दी।

आइए अब जानें कि कैसे, कब और क्या हुआ और ये मामला देशभर में चर्चित और विवादित कैसे और क्यों बना ?

- **साल 1526 :** 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के वर्तमान अन्दीझान, उज्बेकिस्तान में जन्मे जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने 1519 से 1526 ई. तक भारत पर 5 बार आक्रमण किया और 1526 में उसने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी। उसने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में आगरा जीतकर अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। 26 दिसंबर 1530 में

बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई।

- **साल 1528 :** बाबर के वाइसराय जनरल मीर बाकी ने अयोध्या का दौरा किया और 1528 में एक मस्जिद का निर्माण किया जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया।
- **साल 1853 :** विवादित बाबरी मस्जिद – श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहला संघर्ष शुरू हुआ। दोनों समुदायों ने जमीन पर कब्जे का दावा किया। ऐसे दावे हैं कि इसी समय के आसपास सीता रसोई और राम चबूतरा (प्रांगण) बनाए गए थे। कहा जाता है कि यहां अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजो के खिलाफ पहली जंग ए आजादी की कामयाबी के लिए यहां भी दुआएं करवाई गई थी।
- **30 नवंबर 1858 :** अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सबसे पहली F.I.R 30 नवंबर 1858 को सिखों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में लिखा है कि निहंग सिक्ख बाबरी ढांचे में घुस गए हैं और राम नाम के साथ हवन कर रहे हैं।
- **साल 1859 :** ब्रिटिश शासकों ने मंदिर – मस्जिद स्थल पर संघर्ष और विवाद को खत्म करने के लिए पूजा स्थलों को अलग करने के लिए एक बाड़ लगा दिया, जिससे मुसलमानों द्वारा अंदर का आंगन और हिंदुओं द्वारा बाहरी प्रांगण इस्तेमाल किया जा सके।
- **साल 1885 :** अयोध्या की विवादित जमीन के मालिकाना हक को लेकर कानूनी लड़ाई औपचारिक रूप से आज से करीब 135 साल पहले यानी सन 1885 में शुरू हुई थी। 1885 में अयोध्या के एक स्थानीय निवासी और निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुबर दास ने 1528 में बनीं बाबरी मस्जिद के ठीक बाहर स्थित भूमि पर एक मंदिर बनाने की इजाजत मांगी थी। अयोध्या के लोग इस जगह को राम चबूतरा कहकर पुकारते थे। लेकिन, फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने उसे अनुमति देने से इंकार कर दिया। इसके बाद, महंत रघुबीर दास ने भारत के राज्य सचिव के खिलाफ फैजाबाद कोर्ट में सबसे पहला मुकदमा दायर किया, जिसमें बाबरी मस्जिद के राम चबूतरा भूमि पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी गई थी। लेकिन फैजाबाद कोर्ट के सब–जज ने मस्जिद के बाहर के चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि मंदिर बनाने की इजाजत देने से इनकार करने वाले वो सब–जज एक हिंदू थे।
- **दिसंबर 1949 :** राम जन्मभूमि – बाबरी मस्जिद विवाद काफी पुराना है लेकिन स्वतंत्र भारत में इस प्रकरण का सबसे अहम पड़ाव 22 – 23 दिसंबर 1949 को ही माना जाता है। 9 नवंबर 2019 को जिस भूमि पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया था, उसका आधार 22 – 23 दिसंबर 1949 की रात को हुआ रामलला मूर्ति प्रकटीकरण और 3 मार्च 1950 तक नित्य निरंतर हुआ रामलला पूजन ही है। 22 – 23 दिसंबर की रात को, मस्जिद के अंदर एक राम की मूर्ति दिखाई दी। इस हिंदू देवता राम की मूर्ति की उपस्थिति को एक दिव्य रहस्योद्घाटन के रूप में देखा गया। (हालांकि कई तर्क देते हैं कि उस रात में रामलला वह मूर्ति को फैजाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री के के नायर द्वारा गुपचुप रूप से रखवाया गया था) बाद में फैजाबाद जिला प्रशासन द्वारा एक रिसीवर की नियुक्ति कर उसकी देखरेख में ही पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई।
- **साल 1950 :** गोपाल सिमाला विह्रद और परमहंस रामचंद्र दास द्वारा फैजाबाद अदालत में दो मुकदमे दायर किए गए, जिसमें हिंदूओं को रामलला की पूजा करने की अनुमति दी गई। अदालत ने पक्षकारों को पूजा करने की अनुमति दी और अंदर के आंगन के फाटकों को बंद रखने का आदेश दिया।
- **साल 1959 :** निर्मोही अखाड़ा और महंत रघुनाथ ने उस स्थल पर हिंदुओं और अखाड़े का अधिकार साबित करने के लिए तीसरा मुकदमा दायर किया. उन्होंने स्थल पर पूजा के संचालन के लिए निर्मोही अखाड़ा को ही जिम्मेदार संप्रदाय (सेवायत) होने का दावा किया।
- **साल 1961 :** यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद स्थल पर अपना हक साबित करने के लिए मुकदमा दायर किया। बाबरी मस्जिद (गर्भगृह) से राम की मूर्तियों को हटाने की भी मांग की गई क्योंकि यह दावा किया गया कि मस्जिद के आसपास का इलाका कब्रिस्तान था।

- **साल 1984 :** विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ। परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। विहिप द्वारा अन्य हिंदू धार्मिक संगठनों, शिव सेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के साथ, अयोध्या और देश के अन्य हिस्सों में 80 के दशक में लगातार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन चलाए गए।
- **1 फरवरी 1986 :** श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर का ताला खुला – एक तीसरे पक्ष – वकील और पत्रकार उमेश चंद्र पांडे ने फैजाबाद सत्र न्यायालय से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर की तालाबंदी खोलने की अपील इस आधार पर की गई कि फैजाबाद जिला प्रशासन ने इसके बंद करने का आदेश दिया था ना कि कोर्ट ने। अदालत ने हिंदूओं को पूजा और दर्शन की अनुमति देने के लिए ताले को हटाने का आदेश दिया। (ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा उत्तर प्रदेश कि तत्कालीन वीर बहादुर सिंह सरकार उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय और स्थानीय न्यायालय से तालमेल करके वर्षो से बंद पड़े इस मंदिर के ताले खुलवाए गए थे) मुसलमानों ने विरोध में एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी (बीएमएसी) का गठन किया।
- **साल 1987 :** यहाँ यह बता दें कि 1987 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन वीर बहादुर सिंह सरकार ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायलय से आग्रह किया था कि अयोध्या विवाद के सभी मुकदमे, जो फैजाबाद या अन्य सिविल कोर्ट में चल रहे हैं, उन सभी को यूपी हाई कोर्ट में ही हस्तांतरित कर सुना जाए।
- **1 जुलाई 1989 :** जब 1 जुलाई 1989 को फैजाबाद की अदालत में पहली बार 'रामलला विराजमान' की तरफ से दावा पेश किया गया, तब सिविल कोर्ट के सामने इस विवाद से जुड़े चार मुकदमे पहले से ही चल रहे थे।

- **11 जुलाई 1989 :** यूपी की वीर बहादुर सिंह सरकार की अर्जी के आधार पर, 11 जुलाई 1989 को इन सभी मामलों (सभी टाइटल सूट) को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसमें 'निर्मोही अखाड़ा' (1959), 'यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड' (1961) और 'रामलला विराजमान' (1 जुलाई 1989) एवं अन्य बाकी सभी दायर मुकदमे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हुए।
- **9 नवंबर 1989 :** श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास – तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सरदार बूटा सिंह और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी सरकार के माध्यम से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर हेतु आंदोलनरत विश्व हिंदू परिषद से वार्ता और मध्यस्था के बाद विश्व हिंदू परिषद को श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र में मंदिर का 'शिलान्यास' करने की अनुमति दे दी गई और 9 नवंबर 1989 को विहिप के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल, गोरखनाथ मठ के अध्यक्ष मंहत श्री अवैधनाथ जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी और श्री मुरली मनोहर जोशी आदि एवं हजारों अन्य लोगों की उपस्थिति में रामेश्वर चौपाल नामक एक स्थानीय दलित युवा कार्यकर्ता द्वारा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास की पहली ईंट रखी गयी। (श्री रामेश्वर चौपाल अब 5 फरवरी 2020 को निर्मित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य भी हैं।)
- **25 सितंबर 1990 :** श्रीराम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन को समर्थन, बल और तीव्र गति देने के लिये भाजपा के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी की गुजरात से अयोध्या तक के लिये एक रामरथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा के प्रारंभ के लिए श्री आडवाणी ने गुजरात को प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को चुना। उन्होंने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से इस यात्रा की शुरुआत की। यात्रा शुरू करने से पहले सोमनाथ मंदिर में ही आडवाणी ने पूजा की और राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। हालांकि यह यात्रा अयोध्या तक नहीं पहुंच सकी, उसे बिहार की तत्कालीन जनता दल सरकार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सरकार के आदेश पर 23 अक्टूबर 90 को ही बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया गया और श्री लालकृष्ण आडवाणी जी और प्रमोद महाजन को गिरफ्तार कर लिया गया था। रथ यात्रा पूरी न हो पाने के बावजूद इस रथयात्रा से श्री राम मंदिर मंदिर

निर्माण आंदोलन के लिए व्यापक जनसमर्थन हासिल हुआ था। इस यात्रा के बाद से ही अयोध्या मुद्दा राजनीति के केन्द्र में आया और राममंदिर लगातार हर चुनाव में मुद्दा बनता रहा और राजनीतिक तौर बीजेपी और मजबूत हुई थी। सांप्रदायिक दंगे भड़के और एक भीड़ ने मस्जिद को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाया।

- **24 जून 1991 :** भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई तथा भाजपा यूपी में बहुमत से सत्ता में आई और श्री कल्याण सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री चुनें गए।
- **6 दिसंबर 1992 :** बाबरी मस्जिद पर कारसेवकों की भीड़ भड़की। कारसेवकों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर इसके स्थान पर एक अस्थाई टाट के टेंट में मंदिर का निर्माण किया। इसने देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगों को जन्म दिया।
- **16 दिसंबर 1992 :** मस्जिद के विध्वंस के 10 दिन बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस और सांप्रदायिक दंगों के लिए अग्रणी परिस्थितियों पर ध्यान देने के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम एस लिब्रहान के नेतृत्व में एक समिति बनाई।
- **7 जनवरी 1993 :** नरसिम्हा राव सरकार द्वारा अयोध्या भूमि का अधिग्रहण – नरसिम्हा राव सरकार ने 67.7 एकड़ भूमि (विवाद स्थल और आस-पास के क्षेत्र) प्राप्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। बाद में, इसे एक कानून के रूप में पारित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण की सुविधा के लिए, अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया।
- **साल 1994 :** सर्वोच्च न्यायालय ने 3 : 2 के बहुमत से कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण की संवैधानिकता को बरकरार रखा। भारत के मुख्य

न्यायाधीश जस्टिस श्री जे एस वर्मा की संवैधानिक पीठ ने बहुमत के फैसले से तर्क दिया कि प्रत्येक धार्मिक अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में मस्जिद में ही नमाज की अदायगी / पेशकश खास अहमियत नहीं रहती है, नमाज कहीं भी अता की जा सकती है।मस्जिद को गैर-जरूरी पूजा स्थल के रूप में मान्यता दिए जाने के फैसले की मुस्लिम समाज द्वारा कड़ी आलोचना की गई।

- **फरवरी 2002 :** वीएचपी ने घोषणा की कि वह 15 मार्च से मंदिर निर्माण नए सिरे से शुरू करेगा। सैकड़ों स्वयंसेवक इस स्थल पर जुटे। 27 फरवरी 2002 को, गुजरात में गोधरा के पास हिंसक भीड़ द्वारा साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को जला दिया गया। हमले में कम से कम 59 लोग, जो अयोध्या से लौट रहे थे, मारे गए। इसके बाद गुजरात में एक तबाही हुई, जिसमें 1,000 से अधिक लोग मारे गए।
- **अप्रैल 2002 :** अयोध्या शीर्षक विवाद मामला शुरू हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अयोध्या शीर्षक विवाद की सुनवाई शुरू की। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को आदेश दिया कि वह यह निर्धारित करने के लिए कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर है, उस जगह की खुदाई करें।
- **मार्च – अगस्त 2003 :** एएसआई ने विवादित स्थल के नीचे की जमीन की खुदाई की। इसमें 10 वीं सदी के हिंदू मंदिर के अवशेष पाए जाने का दावा किया गया है। मुसलमानों ने एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाए।
- **जुलाई 2005 :** संदिग्ध उग्रवादियों ने विस्फोटकों से लदी जीप का इस्तेमाल करते हुए विवादित स्थल पर हमला किया।
- **30 जून 2009 :** 17 साल की देरी के बाद, लिब्रहान आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दी, हालांकि इसकी सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई। सरकार ने कमीशन के लिए 8 करोड़ रुपये खर्च किए।
- **नवंबर 2009 :** तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम ने संसद में रिपोर्ट पेश की। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस योजनाबद्ध, व्यवस्थित था और इसका उद्देश्य संघ परिवार और उसके सहयोगियों संगठनों द्वारा सांप्रदायिक असहिष्णुता का माहौल बनाना था। रिपोर्ट में कुल 68 व्यक्तियों पर विध्वंस के लिए अलग-अलग केस हुए, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हैं।

- **27 जुलाई 2010 :** सेवानिवृत्त नौकरशाह रमेश चंद्र त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने याचिका दायर कर यह कहा कि वह शीर्षक वाद मामले पर फैसला टाल दें और मध्यस्थता और सुलह से इस वाद को सुलझाने के लिए सभी वादकारियों को समय, सलाह और मध्यस्थता का मौका दिया जाए।
- **17 सितंबर 2010 :** इलाहाबाद हाई कोर्ट ने त्रिपाठी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिका में उचित तथ्यों की कमी थी। उसी महीने की 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को टाले जाने की याचिका खारिज कर दी।
- **30 सितंबर 2010 :** लंबी जिरह और सुनवाईयों के बाद आखिरकार यूपी हाई कोर्ट ने तीन खंडों में 2.77 एकड़ भूमि का विभाजन किया। उच्च न्यायालय ने तीनों पक्षों (यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान) के बीच भूमि को विभाजित करते हुए अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने ध्वस्त बाबरी मस्जिद गुंबद की जमीन को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित किया, रामचबूतरा और सीता रसोई भूमि परिसर निर्मोही अखाड़े को दियें गए और जहाँ वर्तमान में अस्थायी मंदिर है वह स्थल 'रामलला विराजमान' को दिया गया, लेकिन, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला किसी भी पक्ष को मंजूर नहीं था। अत: सभी पक्षों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
- **मई 2011 :** सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं के एक बैच को स्वीकार किया. जस्टिस आफताम आलम और आर एम लोढ़ा की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को अजीब करार दिया। आरएम लोढ़ा ने इसका निरीक्षण किया।
- **21 मार्च 2017 :** पूर्व मुख्य न्यायाधीश खेहर ने विवाद के निपटारे का सुझाव दिया।
- **11 अगस्त 2017 :** सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और अब्दुल नजीर की तीन जजों की बेंच ने अपील पर सुनवाई शुरू की।
- **फरवरी- जुलाई 2018 :** याचिकाकर्ताओं का तर्क रहा कि सुप्रीम कोर्ट को 1994 के इस्माइल फारुकी के फैसले पर पुनर्विचार के लिए 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ को संदर्भित करना चाहिए।
- **20 जुलाई 2018 :** सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बेंच के पास अपील का संदर्भ देने के सवाल पर फैसला सुरक्षित रखा।
- **27 सितंबर 2018 :** 2 :1 के विभाजन में 3 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि 1994 के इस्माइल फारुकी फैसले को एक बड़ी बेंच द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।
- **8 जनवरी 2019 :** सीजेआई रंजन गोगोई ने 5 जजों की संविधान पीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के लिए अपनी प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसकी अध्यक्षता सीजेआई ने की और जिसमें 27 सितंबर 2018 के फैसले को पलटा। इसमें जस्टिस एस ए बोबडे, एन वी रमना, यू यू ललित और डी वाई चंद्रचूड़ शामिल थे।
- **10 जनवरी 2019 :** न्यायमूर्ति यू यू ललित ने पुनर्विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को एक नई पीठ के समक्ष 29 जनवरी को होने वाली सुनवाई को रोकने के लिए कहा।
- **25 जनवरी 2019 :** सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का पुनर्गठन किया. नई पीठ में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एस ए बोबडे, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस ए नजीर शामिल थे।

जस्टिस रंजन गोगोई

जस्टिस एस ए बोबडे

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

जस्टिस अशोक भूषण

जस्टिस एस ए नज़ीर

- **8 मार्च 2019 :** सुनवाई के 2 दिनों के बाद, संविधान पीठ ने कुछ प्रमुख पक्षों की आपत्तियों के बावजूद अदालत-निगरानी मध्यस्थता का आदेश दिया। मध्यस्थों में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला, अध्यक्ष, आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू थे।
- **2 अगस्त 2019 :** हिंदू और मुस्लिम दलों के बीच एक अंतिम समझौते का मध्यस्थता करने का प्रयास विफल रहा। सीजेआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने 6 अगस्त से दिन-प्रतिदिन की अपील पर सुनवाई करने का फैसला किया।
- **6 अगस्त 2019 :** संविधान पीठ ने विवादित 2.77 एकड़ रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि को रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच तीन तरफा विभाजन को चुनौती देते हुए हिंदू और मुस्लिम पक्षों द्वारा दायर क्रॉस-अपीलों पर सुनवाई शुरू की।
- **16 सितंबर 2019 :** मध्यस्थता पैनल - सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोध्या पक्ष फिर से बातचीत शुरू करना चाहता है।
- **18 सितंबर 2019 :** अयोध्या की सुनवाई में राम चबूतरा केंद्र बिंदु बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता समिति को वार्ता फिर से शुरू करने की अनुमति दी।
- **15 अक्टूबर 2019 :** सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के 40 दिनों के बाद अयोध्या के फैसले को सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मध्यस्थता पैनल ने निपटारे के दस्तावेज दाखिल किए।
- **9 नवंबर 2019 :** कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा श्रीराम जन्मभूमि स्थल की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों और अन्य सभी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व साक्ष्यों के आधार पर 9 नवंबर 2019 को 'श्रीरामलला विराजमान' के पक्ष में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और सरकार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन का भी निर्देश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निर्मोही अखाड़ा की याचिका को न केवल खारिज कर दिया बल्कि निर्मोही अखाड़े को सेवादार का भी अधिकार नहीं दिया गया। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों में माना था कि निर्मोही अखाड़ा वहां का सेवादार रहा है।
- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लिये अयोध्या में किसी जगह 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का सरकार को आदेश दिया।

❖

राम मंदिर भारत का एक मजबूत, समृद्ध, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा : आडवाणी

-संजय पांडे

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास की पूर्व संध्या (4 अगस्त 2020) पर वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान साल 1990 में नियति ने उन्हें सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा के रूप में एक पवित्र जिम्मेदारी निभाने का मौका दिया था। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने इसमें शामिल हुए अनगिनत प्रतिभागियों की आकांक्षाओं, जुनून और ऊर्जा को शांत करने में मदद की थी। उन्होंने कहा, श्रीराम का भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता की विरासत में अहम स्थान है और वह अनुग्रह, गरिमा और अलंकरण के प्रतीक हैं।

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, मेरा विश्वास है कि अयोध्या में बनने वाला यह राम मंदिर सभी भारतीयों को भगवान श्रीराम के गुणों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करेगा। आडवाणी ने कहा, यह भी मेरा विश्वास है कि राम मंदिर भारत का एक मजबूत, समृद्ध, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा। जहां सभी को न्याय मिल सकेगा और किसी को भी समाज और व्यवस्था से बाहर नहीं किया जाएगा। ताकि हम वास्तव में राम राज्य में सुशासन के प्रतीक बन सकें।

❖

चार दिशाएं
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर विशेषांक

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें
चार पक्षकारों में से किसने खोया, किसने पाया ?

– सार्थक शर्मा

देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े फैसले में अयोध्या की 2.77 एकड़ श्रीराम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान का हक माना। जबकि मुस्लिम पक्ष उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसमें दशकों पुराने विवाद का खात्मा हो गया है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया।

9 नवंबर 2019 की सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर पहुंचे। पांच जजों ने लिफाफे में बंद फैसले की कॉपी पर दस्तखत किए और इसके बाद जस्टिस गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू किया।

रामलला विराजमान के दावा को मान्यता केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने का आदेश

विवादित जमीन पर 'रामलला विराजमान' का हक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया। इस ट्रस्ट के पास ही मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी होगी।

खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी मस्जिद

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग (ए. एस. आई.) का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने ए.एस. आई. की रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में ये भी कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन इससे आगे कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है। वहीं, कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 को गिराए गए ढांचे पर कहा कि मस्जिद को गिराना कानून का उल्लंघन था।

'मुस्लिम पक्ष 'यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड' को अयोध्या में ही किसी उचित जगह पर जमीन देने का आदेश '

कोर्ट ने विवादित जमीन पर पूरी तरह से रामलला का हक माना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में ही कहीं जमीन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी उचित जगह मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जगह दी जाए।

शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज

शिया वक्फ बोर्ड का दावा भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। शिया वक्फ बोर्ड ने कहा था कि मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी, जो एक शिया थे, ऐसे में यह मस्जिद सुन्नियों को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के इस दावे को भी खारिज कर दिया।

निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावों को खारिज कर दिया। निर्मोही अखाड़े की लिखित दलील में कहा गया था कि विवादित भूमि का आंतरिक और बाहरी अहाता भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में मान्य है। हम रामलला के सेवायत हैं और ये हमारे अधिकार में सदियों से रहा है। निर्मोही अखाड़े ने अपनी दलील में कहा था कि हमें ही रामलला के मंदिर के पुनर्निर्माण, रखरखाव और सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। अखाड़े के इस दावे को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।

ये तमाम बातें कहने के बाद कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला का हक बताया और विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए अलग से ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि के रूप में महंत दीनेंद्र दास को अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए बने ट्रस्ट 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' में स्थाई सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।

क्या था यूपी हाई कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट से पहले इस मामले में यूपी हाई कोर्ट ने 30 सितंबर, 2010 में अपना फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट द्वारा 2.77 एकड़ जमीन का बंटवारा 3 बराबर हिस्सों में कर दिया गया था। कोर्ट ने यह जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच बराबर बांटने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया गया। ❖

With Best Compliments from
CHAAR DISHAYEN PRINTERS PVT. LTD.
Perfecting the art of making impression
An ISO 9001 : 2000 Certified Company
G-39, 40 & 41 Sector-3, Noida-201301
Tel. : 0120-4323198, 4216891 **Cel. :** +91-9810297155, 9711155148
Email : Chaardishayen@gmail.com, ctpviegraphic@gmail.com
A Complete House of All Your Printing Needs

दिव्यता और भव्यता का वैभव होगा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर

– राजकुमार शर्मा

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर कई मायने में अद्‌भुत और अकल्पनीय होगा। भक्तों को सिंहद्वार से ही करीब सवा तीन सौ फुट दूर गर्भगृह में विराजमान रामलला के दर्शन होंगे। पूरब स्थित मुख्य सिंहद्वार के अलावा प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप से होकर दो और बड़े द्वार होंगे। गर्भगृह का परिक्रमा पथ भी खुला रहेगा। यह मंदिर कांपलेक्स 70.4 एकड़ भूखंड पर निर्मित किया जाएगा। (जनवरी 1993 में केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संसद में पारित 'अयोध्या भूमि अधिग्रहण कानून' के प्रावधान के तहत अधिग्रहित 67.7 एकड़ भूमि तथा अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मिली पूरी 2 .77 एकड़ विवादित भूमि को मिलाकर यानि कुल 70.4 एकड़ भूमि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट को सौंप दी गई है।) सोमपुरा परिवार भी बरसों से इस शिलान्यास के लम्हों का इंतजार कर रहा था, अब भूमिपूजन के साथ उनके डिजाइन पर भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। राममंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के पुत्र आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा व निखिल सोमपुरा अहमदाबाद से अयोध्या पहुंच चुके हैं। उनके अनुसार राममंदिर को खास नागर शैली में बनाया जाएगा। मंदिर दो की जगह अब तीन मंजिला होगा। मुख्य ढांचा वैसा ही रखा गया है, जैसा प्रस्तावित मॉडल में था।

वास्तुकार के मुताबिक भारतीय मंदिरों के स्थापत्य की तीन शैलियां हैं – नागर, द्रविड़ और वेसर। राम मंदिर को उत्तर भारत की प्रचलित नागर शैली में डिजाइन किया गया है। इस शैली में मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार में होता है और मंदिर की परिधि वृत्ताकार बनाई जाती है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी इसी शैली में बना है। मूल डिजाइन में बदलाव के बाद अब मंदिर में 318 खंभे बनेंगे। मंदिर की लंबाई 360 फुट, चौड़ाई 235 फुट और ऊंचाई 161 फुट होगी। मंदिर के गर्भगृह से पहले तीन शिखर वाले स्थान होंगे। सबसे पहले भजन-कीर्तन का स्थान, दूसरे में ध्यान और तीसरे में रामलला के दर्शन की व्यवस्था होगी। गर्भगृह में पुजारी के अलावा और किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर के दूसरे तल पर राम दरबार होगा, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण-भरत, शत्रुघ्न के साथ हनुमान भी विराजमान होंगे। ❖

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मिली 5 एकड़ जमीन पर 'यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड' मस्जिद और चैरिटेबल अस्पताल बनाएगा

– मनोज शर्मा

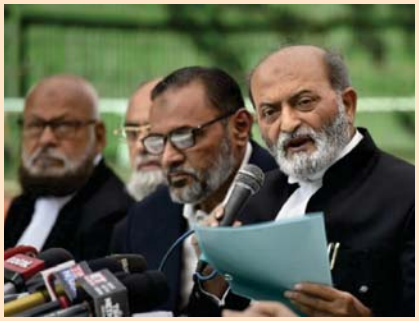

कोर्ट ने मामले में मुस्लिम पक्षकार 'उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड' को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही कहीं और 5 एकड़ जमीन दिए जाने का आदेश सरकार को दिया था। (जो 30 सितंबर 2010 को यूपी हाईकोर्ट द्वारा 2.77 एकड़ जमीन के एक तिहाई हिस्से यानि कि 0.93 एकड़ से करीब 5 गुनी ज्यादा जमीन है।) उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड को अयोध्या के सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दी है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार की ओर से मिली 5 एकड़ जमीन स्वीकार कर ली है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि उनके पास कभी जमीन को खारिज करने की छूट नहीं थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस जमीन के लिए एक ट्रस्ट **"इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन"** (आई.आई.सी.एफ) बनाया है। इस ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे, जिसमें 9 के नामों की घोषणा हो गयी है 6 अन्य नामों की भी घोषणा जल्द हो जाएगी। ट्रस्ट का सचिव इसका अधिकारिक प्रवक्ता होगा। आईआईसीएफ के सचिव अतहर हुसैन ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा इस पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद के साथ-साथ इंडो- इस्लामिक सेंटर, चौरिटेबल अस्पताल और पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। ट्रस्ट के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रस्ट का एक कार्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 दिन में काम करने लगेगा। ❖

राष्ट्रभक्त और राम भक्त हैं प्रधानमंत्री मोदी

– जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर
स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज "मानस परमहंस"
संस्थापक व अध्यक्ष, श्री तुलसी मानस मंदिर, सप्त सरोवर मार्ग, हरिद्वार

पांचो पांडव शकुनि की कुटिल चाल के कारण द्यूत क्रीडा में सब कुछ, यहां तक कि द्रोपदी को भी हार गए और जब भरी सभा में द्रोपदी को कौरवों द्वारा दुर्योधन दुशासन द्वारा अपमानित किया जाने लगा तो द्रौपदी ने भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण किया और भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर द्रोपदी की लाज बचाई। बाद में द्रोपदी ने भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद किया और पूछा कि हे नाथ आपने मेरी लाज बचाई किंतु आपने उस वक्त पांडवों की सहायता क्यों नहीं कि जब वह द्यूत क्रीडा में हार रहे थे, तो मेरा यह अपमान होता ही नहीं। भगवान ने उत्तर दिया कि तुमने मुझे श्रद्धा विश्वास और निष्ठा व मन से स्मरण किया, मेरी सहायता मांगी, मैंने यहां उपस्थित होकर तुम्हारी सहायता की, किंतु पांडवों में श्रद्धा विश्वास नहीं था और न ही उनहोंने मुझे कभी स्मरण किया, न ही पहले कभी और न ही उस संकट के मध्य भी। यदि शकुनी पासे पलटने की क्षमता रखता है, तो क्या मैं पासे नहीं पलट सकता था? इस कथा का निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति भगवान में श्रद्धा विश्वास आस्था रखकर उनका स्मरण करता है भगवान उनकी सहायता व रक्षा अवश्य करते हैं। और इस बार इस प्रकरण में पासे मेरे आराध्य भगवान रामलला सरकार के हाथों में थे और मेरे ठाकुरजी ने उस पासे को पलट दिया, क्योंकि हमारे मनीषी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भगवान राम में अगाध आस्था है। राष्ट्रभक्त मोदी जी की इच्छाशक्ति और पुरुषार्थ के माध्यम से भगवान की बड़ी करुणा हुई है, भगवत कृपा हुई है और सौभाग्य का यह क्षण उपस्थित हुआ है, सभी को कोटि कोटि मंगल बधाइयां। इससे उत्तम बधाई, हम सब भारतवर्ष वासियों और संपूर्ण सनातन समाज और भारतीय सत्य सनातन संस्कृति को मानने वाले विश्व के सभी भागों में बसे धर्म परायण आस्तिक और आस्थावान व्यक्तियों के लिए और क्या हो सकती है भला ? 5 सदी पूर्व रामलला सरकार की इस पवित्र जन्म भूमि की वह अपमानजनक कष्टदायक और दयनीय अवस्था देखकर भक्त ह्रदय शूरवीरो, हमारे पूर्वजों और महापुरुषों ने सैकड़ों वर्षो से न जाने कितने आंदोलन और संघर्ष किये, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, न जाने कितनी यातनाएं और पीड़ा सही और अपना प्राणोंत्सर्ग किया है, यह किसी से अज्ञात नहीं है। मानस में कहा गया है कि **'परहित लागि तजइ जो देही, सतत संत प्रसंसहि तेही'** अब इस भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही उन सभी महापुरुषों की दिव्य आत्मा को आनंद व शांति की प्राप्ति हुई हैं, यह मंदिर उन सभी दिव्य आत्माओं के लिए वास्तविक श्रद्धा सुमन का भी कार्य करेगा। यह केवल अयोध्यानाथ रामलला सरकार के मंदिर का शिलान्यास नहीं है अपितु हमारी वैदिक सत्य सनातन पवित्र विचारधारा हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र का भी शिलान्यास है। भगवान श्रीराम के इस भव्य और दिव्य मंदिर के माध्यम से संपूर्ण विश्व हिंदुत्व के भाव से ओतप्रोत होगा ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इस पुण्य कार्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जितना भी साधुवाद दिया जाए वह कम ही है। भारतवर्ष भगवान राम कृष्ण के अवतार की पवित्र भूमि है, व्यास बाल्मीकि वशिष्ठ विश्वामित्र अत्रि एवं भारद्वाज मुनि आदि की तपस्थली है, महावीर, बुद्ध, गुरु नानक, आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु वल्लभाचार्य, सूरदास और तुलसीदास

यह केवल अयोध्यानाथ रामलला सरकार के मंदिर का शिलान्यास नहीं है अपितु हमारी वैदिक सत्य सनातन पवित्र विचारधारा हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र का भी शिलान्यास है। भगवान श्रीराम के इस भव्य और दिव्य मंदिर के माध्यम से संपूर्ण विश्व हिंदुत्व के भाव से ओतप्रोत होगा ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इस पुण्य कार्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जितना भी साधुवाद दिया जाए वह कम ही है।

अखंड रामायण पाठ के अवसर पर श्रीराम चरित मानस एवं महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज का पूजन करते हुए श्रीमती चित्रा शर्मा, अजय शर्मा एवं मोनिका

आदि आदि अन्य अनेकों अनेक दिव्य आत्माओं और संत मुनियों की साधना स्थली है और अत्यंत पवित्र धर्म परायण भारतवर्ष की पुण्य धरा शीघ्र ही पूर्व की भांति अविभाज्य और अखंड भारत के रूप में पुनः स्थापित होगी और राम मंदिर की ही भांति लगभग 5 सदी से मुगलकाल से लेकर अब तक संत समाज, गौ सेवक गौ भक्त और गोपालक भारत के अहिंसक और धर्म परायण व्यक्तियों, कृषि प्रधान देश के किसानों और जन-जन की यह भी अभिलाषा है कि हमारी यह पृथ्वी माता एवं धर्म पापरायण भारत भूमि गोवध से मुक्त हो, रिक्त हो। मैं यह आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास रखता हूं कि भारत की पुण्य पवित्र धरा शीघ्रतातिशीघ्र गोवध के कलंक से भी अवश्य मुक्त होगी रिक्त होगी, महामना मनीषी मोदी जी के माध्यम से ही। मेरी ऐसी मान्यता है धारणा है कि गोवंश के सुखी समृद्ध संवर्धित सुरक्षित होने से ना केवल भारतवर्ष भी सुखी समृद्ध और सुरक्षित रहेगा अपितु भारत और भारतीय संस्कारों, शाकाहार व सदाचार का समग्र विकास और विश्वव्यापि प्रचार-प्रसार भी होगा। अब यह संपूर्ण निश्चिंतता है श्रीराम के इस अद्भुत अनुपम भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य निरंतर निर्बाध और अबाध रूप से शीघ्र ही संपूर्ण होगा। साथ ही ऐसी अभिलाषा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसके उद्घाटन पाटोत्सव के अवसर पर ऐसा भव्य दिव्य उत्सव का आयोजन किया जाए जिसमें भारत का जन जन सम्मिलित हो क्योंकि अभी हुये इस शिलान्यास समारोह में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अनेक लोगों के मन में वहां स्वयं शारिरीक रूप से उपस्थित होकर इस दृश्य को अपने चर्म चक्षुओं से देखने और इस दिव्य क्षण के साक्षी बनने की कसक तथा अभिलाषा मन में ही रह गई, भले ही आधुनिक संचार माध्यम टीवी और अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से सभी ने यह महोत्सव देश-विदेश में घर-घर देखा। अतः उत्सव प्रधान धरा पर रामलला सरकार के मंदिर का उद्घाटन और लोकार्पण आयोजन इतना सुंदर और भव्य हो कि संपूर्ण विश्व सदा सर्वदा के लिए उसकी स्मृति को अपने मन मस्तिष्क और हृदय में श्रीराम की भांति ही आत्मसात कर सके। ❖

राम जीवनशैली है

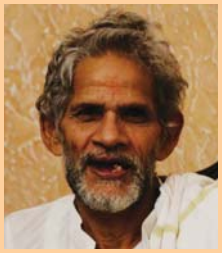

बाबा परमहंस जी महाराज

राम नाम जीवन का सार है, राम न सिर्फ हमारी संस्कृति के प्राण है आधार है, बल्कि हमारे जीवन का ध्येय भी है। राम के चरित्र में वह उच्चता दिव्यता और श्रेष्ठता है, जो मानव को मानव बनाती हैं। राम वेदों में वर्णित निर्गुण ब्रह्म या परात्पर परमब्रह्म ही नहीं है, वह एक जीवंत जीवनशैली भी है। यदि हमें अपने जीवन के कष्टों से उबरना है तो स्वयं अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना बंद करना होगा और राम की ही भांति प्रकृति केंद्रित मर्यादित जीवनशैली अपनानी होगी। उनके दिव्य गुणों और मर्यादित आचरण को अपनाना होगा, अपने अंतःकरण में विद्यमान करना होगा। जिस प्रकार राम ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर कार्य किया, उन्हें साथ लेकर चले, उन्हें सम्मान दिया बगैर किसी ऊंच-नीच और भेदभाव के और पूरे समाज में एक सामाजिक समरसता की स्थापना की। उनका ध्येय समाज के भेदभाव और दुख दर्द को मिटाना था। हमें भी उन्हीं आदर्शों और नैतिक जीवन मूल्यों पर मन क्रम वचन से चलना होगा, उनका अनुकरण करना होगा। यह मंदिर उन्हीं मूल्यों का केंद्र बनकर उनका विश्वव्यापी प्रसार भी करेगा, यही इसकी सार्थकता भी होगी। ❖

निर्मोही अखाड़ा : प्रथम याचिकाकर्ता

– सार्थक शर्मा

निर्मोही अखाड़ा रामनंदी बैरागी का एक प्राचीन मठ है, जिसको महंत रामानंदजी ने शुरू किया था। इस मठ के अंतर्गत अयोध्या में स्थित कई मंदिर आते हैं। अयोध्या मामले में सबसे पहली कानूनी प्रक्रिया 1885 में इसी अखाड़े के महंत रघुवीर दास ने शुरू की थी। निर्मोही अखाड़ा खुद को उस स्थल का संरक्षक बताता रहा है। सन 1885 में दायर अपनी इस पहली याचिका में निर्मोही अखाड़े की तरफ से यहां स्थित आंगन राम चबूतरे पर छतरी बनवाने की अनुमति मांगी, लेकिन फैजाबाद की जिला अदालत ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया था।

देश स्वतंत्र होने के बाद 19 मार्च 1949 को निर्मोही अखाड़े ने अपना पंजीकरण कराया। निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर 1949 में उस वक्त चर्चा में आया, जब उसने एक बार फिर नए सिरे से कोर्ट में अयोध्या की श्रीराम जन्मभूमि को लेकर मुकदमा दायर कर किया था। यहां यह भी ज्ञातव्य है कि 22–23 दिसंबर 1949 की रात यहां पर मूर्तियां रखी गई थीं। निर्मोही अखाड़े की दलील थी कि इस स्थल पर 1885 से मुस्लिम समाज ने कभी नमाज नहीं पढ़ी है। इसके प्रमुख महंत भास्कर दास का सितंबर 2017 को ब्रेन स्ट्रॉक के चलते उनका निधन हो गया था। वह इस मामले में वह निर्मोही अखाड़े की तरफ से प्रमुख पक्षकार भी थे। उनके बाद निर्मोही अखाड़े के महंत स्वामी दिनेंद्र दास जी यह मामला देखने लगे।

महंत दिनेंद्र दास जी, स्थाई सदस्य
(अयोध्या के निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि)

निर्मोही अखाड़ा खुद को उस स्थल का संरक्षक और सेवायत बताता रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में निर्मोही अखाड़ा की याचिका को खारिज कर दिया, इसका अर्थ है कि निर्मोही अखाड़े को इस जमीन का कोई मालिकाना हक नहीं है। मामले की निरंतर सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने साफ कर दिया था कि उनके द्वारा दायर मुकदमे में मालिक घोषित करने की मांग का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े को सेवादार का भी अधिकार नहीं दिया है। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों में माना था कि निर्मोही अखाड़ा वहां का सेवादार रहा है।

यहां यह ज्ञातव्य है कि हाईकोर्ट ने अपने 30 सितंबर, 2010 के फैसले में 2.77 एकड़ भूमि के एक तिहाई भू–भाग का मालिकाना हक निर्मोही अखाड़े को दिया था और राम चबूतरा तथा सीता रसोई निर्मोही अखाड़े को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट का यह मौजूदा फैसला हाईकोर्ट के फैसले से बिल्कुल उलट है।

❖

सिक्ख सनातन हिंदू संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।

– मनोज शर्मा

गुरु नानकदेव जी महाराज ने सन् 1510 – 11 में अयोध्या प्रवास किया था। वह रामजन्म भूमि के दर्शन के लिए अयोध्या आए थे। यह राम मंदिर विध्वंस से 18 साल पहले का काल था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इसे सबूत के तौर पर स्वीकार किया है। सिर्फ गुरु नानकदेव जी ही नहीं, अपितु गुरु तेगबहादुर जी और उनके पुत्र तथा खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी अयोध्या गए थें।

निहंगों सिखों का राम की वंश परंपरा से जुड़ाव और मंदिर मुक्ति के लिए संघर्ष तथा बलिदान करना सर्वविदित है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सबसे पहली F.I.R भी 30 नवंबर 1858 को सिखों के विरुद्ध ही दर्ज कराई गई थी। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में लिखा है कि निहंग सिक्ख बाबरी ढांचे में घुस गए हैं और राम नाम के साथ हवन कर रहे हैं।

आज सिक्ख पंथ को हिंदू धर्म से अलग देखने वाले अल्पज्ञ, मूढ़ मंद मति और मूर्ख कट्टरपंथियों और विघटनकारी तत्वों का यह जानना अति आवश्यक है कि सिक्ख सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के अभिन्न अंग, धर्म ध्वजा वाहक और धर्म रक्षक योद्धा थे, हैं और रहेंगें।

चार दिशाएं
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर विशेषांक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और प्रयासों के कारण आज यह संकल्प पूरा हो रहा है : योगी आदित्यनाथ'

– रिपोर्ट : शैलेंद्र शर्मा

चार दिशाएं के संपादक राजकुमार शर्मा और अजय शर्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करते हुए

**दैवतानि च सर्वाणि चौत्यानि नगरस्य च।
सुगन्धमाल्यैर्वादित्रौरर्चन्तु शुचयो नराः।।
समस्त ब्रह्मांड आज आहलादित है। चहुंओर एक संतुष्टि का भाव है। दीपमालिकाओं से दसों दिशाएं जगमग हैं। भारतवर्ष के साथ-साथ विश्व के अनेक देशों में राम भक्त प्रपफुल्लित हैं, मगन हैं। सब कुछ 'राममय' है।**

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह के अवसर पर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीराम मंदिर की आधारशिला रख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और प्रयासों के कारण आज यह संकल्प पूरा हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने लोकतांत्रिक तरीके से इसका समाधान निकाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका की ताकत से लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान हो गया। राम मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों तक चले संघर्ष की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, 5 सदी के बाद आज 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूरा हो रहा है। देश में लोकतांत्रिक तरीकों के साथ ही मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस घड़ी की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सप्तपुरियों में शामिल अवधपुरी को समृद्धशाली एवं वैभवशाली नगरी बनाने की वचनबद्धता दोहराई। इस अवसर को मंगल उत्साह का दिन बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल मंदिर निर्माण का ही नहीं बल्कि भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। उन्होंने कहा, स्वदेश दर्शन के

तहत सरयू नदी के घाटों का निर्माण कराया जा रहा है। रामकथा की श्रृंखला चल रही है।

उन्होंने कहा कि हमने तीन साल पहले अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया था और उस अवसर पर राममंदिर निर्माण का जो सपना देखा था, आज वह भव्य एवं दिव्य मंदिर के रूप में सिद्ध हो रहा है। यूपी सीएम योगी ने कहा कि सरकार की ओर से पहले रामायण सर्किट का काम शुरू किया गया, साथ ही अयोध्या में विकास कार्य हो रहा है, हमारी सरकार अवधपुरी को वैभवशाली नगरी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अयोध्या में राम मंदिर के भूमिपूजन और शिलान्यास समारोह में भाग लेने के पश्चात वापस राजधानी लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर दीप जलाए और आतिशबाजी की। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर कहा कि : **दैवतानि च सर्वाणि चौत्यानि नगरस्य च। सुगन्धमाल्यैर्वादित्रौरर्चन्तु शुचयो नराः।।** समस्त ब्रह्मांड आज आहलादित है। चहुंओर एक संतुष्टि का भाव है। दीपमालिकाओं से दसों दिशाएं जगमग हैं। भारतवर्ष के साथ-साथ विश्व के अनेक देशों में राम भक्त प्रपफुल्लित हैं, मगन हैं। सब कुछ 'राममय' है।

❖

स्त्री की गरिमा एवं आत्म-सम्मान के रक्षक हैं श्रीराम

-श्रीमती चित्रा शर्मा, आध्यात्मिक चिंतक

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन सद्भाव और समरसता के साथ संपन्न होना 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की शक्ति और 'अनेकता में एकता' की शक्ति सहित संपूर्ण विश्व में भारत की महान संस्कृति की महिमा को प्रमाणित करता है। श्रीराम के लिए स्त्री पूज्य है। श्रीराम ने अहिल्या जैसी उपेक्षित नारी, जो पति के श्राप के कारण पाषाणवत् जीवन व्यतीत कर रही थी, को ना केवल प्राणवंत किया, अपितु मानवोचित सम्मान भी दिया। राम खुद चलकर शबरी जैसी उपेक्षित और दलित महिला के घर गए, उसके झूठे बेर खाए। शबरी के जूठे बेर ग्रहण करने में श्रीराम संकोच नहीं करते। वह निर्धन असहाय स्त्री और दलित आदिवासी है, इसके बावजूद भी शबरी का चौहरा पिछड़ापन इसमें बाधक नहीं बनता। श्रीराम के लिए स्त्री वंदनीय है। बालि और रावण वध इसका प्रमाण है, जिसके केंद्र में स्त्री के आत्म-सम्मान और शालीनता की रक्षा निहित है। इंद्रपुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर वासना और कामुकता के प्रभाव में सीता को स्पर्श करता है। दंडस्वरूप श्रीराम उसे एक आंख से अंधा कर देते हैं। राम ने रावण से युद्ध सीता भर को छुड़ाने के लिए नहीं किया, अपितु समस्त नारी जाति के सम्मान की रक्षा के लिए किया था।

- प्रस्तुति : भारती शर्मा

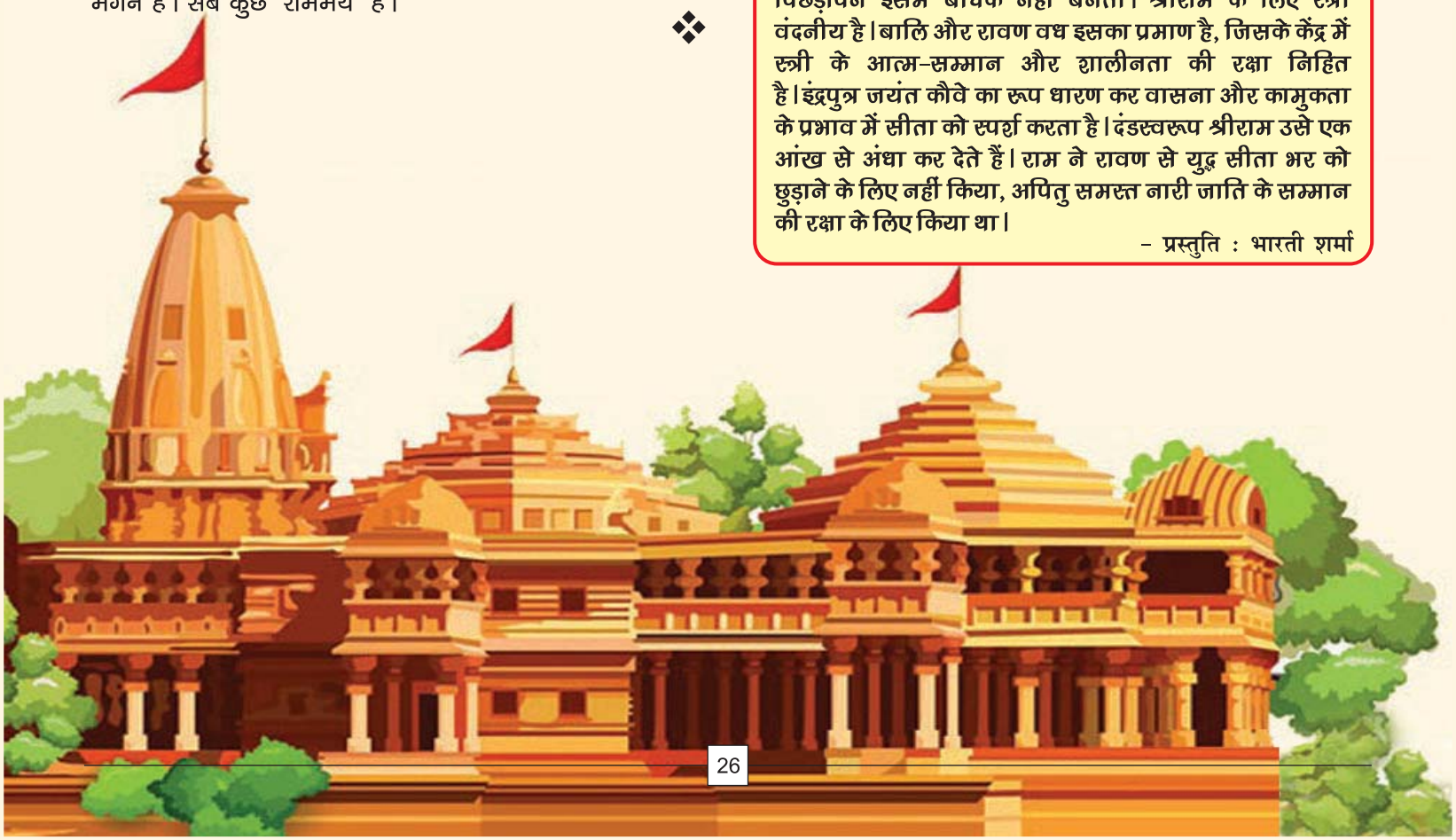

पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें

– मनोज शर्मा

1– बरसों से टाट और टेंट के नीचे रह रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना। सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से श्रीराम जन्मभूमि आज मुक्त हो गई है।

2– राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राममंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को आज नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूं।

3– राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल–मिल गए हैं। कोई काम करना हो, तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट कर दी गईं, अस्तित्व मिटाने का प्रयास भी बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति का आधार हैं राम।

4– यहां आने से पहले, मैंने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलियुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राममंदिर भूमिपूजन का ये आयोजन शुरू हुआ है।

आज का ये दिन करोड़ों रामभक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है।

5– श्रीराम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा, और ये मंदिर करोड़ों–करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी।

6– आज का ये दिन करोड़ों रामभक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ, सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं।

7– कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमिपूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्रीराम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे पत्थरों पर श्रीराम लिखकर रामसेतु बनाया गया, वैसे ही घर–घर से, गांव–गांव से श्रद्धापूर्वक पूजी शिलाएं, यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई हैं। देश भर के धामों और मंदिरों से लाई गई मिट्टी और नदियों का जल, वहां के लोगों, वहां की संस्कृति और वहां की भावनाएं, आज यहां की शक्ति बन गई हैं।

8– जिस तरह दलितों पिछड़ों आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देशभर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है।

9– रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्रीराम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है, वो है सत्य पर अडिग रहना। इसीलिए ही श्रीराम संपूर्ण हैं। श्रीराम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, शबरी से मातृत्व, हनुमानजी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया. यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।

10– जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है, जहां हमारे राम प्रेरणा न देते हों। भारत की ऐसी कोई भावना नहीं है जिसमें प्रभु राम झलकते न हों। भारत की आस्था में राम हैं, भारत के आदर्शों में राम हैं, भारत की दिव्यता में राम हैं, भारत के दर्शन में राम हैं।

❖

श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन व शिलान्यास कार्यक्रम की झलकियां

राम काज करिबे को आतुर

रामचंद्र के काज संवारे